अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिटट्न मार्केट, भोपाल– 462016

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई, 2018

क्रमांक 1030/म.प्र.वि.नि.आ./2018 – विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 45 की उप–धारा (3) के खण्ड (ख) एवं धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम 2009 में निम्नलिखित छठवां संशोधन करता है, अर्थात् :–

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में छठवां संशोधन''

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :** 1.1 ये विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) (छठवां संशोधन) विनियम, 2009 **{**एआरजी–31(1)(vi), वर्ष 2018**}**'' कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के ''राजपत्र'' में प्रकाशन की दिनांक से लागू होंगे।

संशोधन

(1) उक्त विनियम में, अध्याय चार में, विनियम 4.2.6 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''4.2.7 ''भारत माला परियोजना'' के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों के लिए विद्युत् लाईनों, खंभों एवं सब–स्टेशनों के स्थानांतरण (शिफ्टिंग) के लिए पर्यवेक्षण प्रभार 2.5 प्रतिशत होगा ।'' ।

आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव